21-2/2018-सेवा पूति

संख्या/No.

तार : राजभाषा
Tele : Rajbhasha
फोन/Phone : 26178454, 26105211
26105213, 26105214, 26105243
26105312, 26105245, 26105526
फैक्स/Fax : 26100758, 26103160
26102575
www.hindinideshalaya.nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
CENTRAL HINDI DIRECTORATE
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
(उच्चतर शिक्षा विभाग)
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)
पश्चिमी खंड-7, रामकृष्णपुरम, WEST BLOCK-VII, RAMA KRISHNA PURAM
नई दिल्ली/NEW DELHI-110066

दिनांक/DATED : 29 .03.2019

सेवा में,

विषयः-**निदेशालय के ग्रीष्म ऋतु हेतु दिनांक 15.04.2019 से 30.09.2019 तक के लिए 61 डैजर्ट कूलरों, वाल फैन,पैडस्टल फैन एवं टेबल फैनों की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा डैजर्ट कूलरों में पानी भरने के ठेका देने हेतु निर्विदाएं आमंत्रित।**

महोदय,

इस निदेशालय द्वारा 15.04.2019 से 30.09.2019 तक के लिए कार्यालय के डैजर्ट कूलरों, वाल फैन, पैडस्टल फैन एवं टेबल फैनों की मरम्मत एवं रख-रखाव तथा डैजर्ट कूलरों में पानी भरने का ठेका दिया जाना है। कूलरों की मरम्मत एवं रख-रखाव एवं पानी भरने के ठेके की शर्ते निम्नलिखित प्रकार से हैः-

1. ठेके की अवधि में कूलरों की मरम्मत व रख-रखाव की राशि (प्रति कूलर)
2. प्रारंभिक मरम्मत, तेलीकरण, पैड बदलना व सफाई।
3. कूलर की टंकियों में प्राईमर/पेंट करना (अन्दर तथा बाहर)।
4. कूलरों को चालू करने से पहले यदि कोई मरम्मत उनके पुर्जे बदले जाएगें तो उसका भुगतान अनुमोदित दरों के अनुसार किया जायेगा।
5. जहां भी आवश्यक हो ऊपरी-प्लग, तीन कोर तार लगाई जाएगी ,जिनका कोई भुगतान देय नही होगा।
6. प्रतिदिन कूलरों में सुबह और दोपहर नियमित अंतराल से पानी भरने के लिए व्यवस्था करनी होगी ताकि पानी की कमी के कारण कोई कूलर बंद न करने पडे ओर शिकयात न आने पाए। पानी भरने के लिए ठेकेदार द्वारा दो मजदूर रखने होगें। जिनकी मजदूरी निदेशालय द्वारा अलग से की जाएगी। प्रति मजदूर की दिहाडी एक महीने की कितनी होगी लिखना होगा।
7. ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद सभी कूलर की सफाई करके चालू अवस्था में सुपुर्द करने होगे।
8. सभी डेजर्ट कूलरों में 15-15 दिन के अंतराल में पैट्रोल या मिट्टी का तेल आदि केमिकल डालना अनिवार्य होगा ताकि उनमें मच्छर पैदा न हों तथा सफाई का विशेष ध्यान देना फर्म की जिम्मेदारी होगी। इसके लिए अलग से कोई राशि देय नहीं होगी।
9. यदि कोई कूलर 03 दिन से अधिक किसी पुर्जे की मरम्मत या उसको बदलने की वजह से बंद रहेगा तो उस कूलर के लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा इस मामले में मरम्मत एवं रख-रखाव का खर्च फर्म द्वारा भरा जाएगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं। अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

यदि उपर्युक्त शर्तो के अधीन आप ठेका लेने के इच्छुक हो तो कृपया अपनी निविदाएं अधोहस्ताक्षरी के पास सील बंद लिफाफे में दिनांक 11.04.2019 को सांय 2:00 बजे तक अवश्य भेज दें। निविदाएं उसी दिन सांय 3:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी।

पूर्व पृष्ठ सेः-

निविदा कृपया नीचे दिए गए मदों के अनुसार मुहरबंद लिफाफे में डाक के द्वारा या दस्ती तौर पर भेजे। लिफाफे के ऊपर इस प्रकार से लिखें:- **"कूलरों ,पैडस्टल फैन एवं वाल फैन की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए निविदा "**

निम्नलिखित मदों की दरें भी मजदूरी सहित दी जा सकती हैः-

1. डैजर्ट कूलर ,पैडस्टल फैन एवं वाल फैन के पंखा मोटर की रिवाइंडिग।
2. कूलर मोटर,पैडस्टल फैन एवं वाल फैन के बुशों/साफट को बदलना।
3. नया पम्प (मीनी) (ISI) मार्क।
4. नया पम्प / मोटर (ISI) मार्क।
5. नया कूलर पंखा मोटर (ISI) मार्क।
6. टेबल फैन /पैडस्टल फैन/वाल फैन/सिलिंग फैन की मरम्मत और सर्विस।
7. टेबल फैन/पैडस्टल फैन/वाल फैन एवं सिलिंग फैन मोटर रिवाईडिग।
8. खिडकियों पर डैजर्ट कूलर फिट करना ओर लोहे का स्टैंड लगाना।
9. कैपेसिटर बदलना।
10. डैजर्ट कूलरों की फ्रन्ट ग्रिल बदलना।
11. कूलर मोटर के ब्लेड फेन को बदलना।
12. पानी की टंकी बदलना।
13. 20 गेज शीट के डैजर्ट कूलरों की पूरी बाडी बदलना।
14. प्लाई उपलब्ध कराना और उसे कूलर के साथ खिडकियों फिट करना।
15. डैजर्ट कूलरों के बाहरी तरफ से पेंट करना।
16. कूलर के परदों (खिडकियों) को बदलना।
17. ऑन-ऑफ स्वीच
18. कूलरों में पानी भरने के लिए एक मजदूर की मजदूरी।
19. ठेके की अवधि में डैजर्ट कूलरों ,(पैडस्टल फैन एवं वाल फैन / सीलिंग फैन) प्रति एक के रख-रखाव एवं मरम्मत (सामान सहित एवं सामान रहित) पर होने वाले भुगतान राशि का ब्यौरा।

भुगतान की शर्तेः-

1. पानी भरने का भुगतान प्रत्येक माह किया जाएगा और अंतिम भुगतान दिनांक 30.09.2018 तक होगा।
2. प्रारंभिक मरम्मत पुर्जो के बदलने का भुगतान माह मई-जून, 2019 में किया जाएगा।
3. कूलरों को चालू करने से पूर्व प्रारंभिक मरम्मत के उपरांत ठेके की अवधि में किसी भी प्रकार मरम्मत / पुर्जो के लिए काई भुगतान नहीं किया जाएगा।
4. रख-रखाव की राशि का 30% भुगतान माह जून, 2019 में तथा शेष 70% का बकाया भुगतान ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद, कार्य संतोषजनक होने पर किया जाएगा ।
5. यदि ठेके के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया तो निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय बिना कोई कारण बताए ठेका तुरन्त रद्द कर सकते है।
6. निविदाएं खोलते समय निविदा देने वाली फर्म/कंपनी के अधिकारी अथवा प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में यदि चाहें तो उपस्थित हो सकते है। इसके लिए दिनांक 11.04.2018 को अपराह्न 2:30 बजे तक अधोहस्ताक्षरी को लिखित सूचना देनी होगी।

भवदीया,

(रीता देव)
प्रशासनिक अधिकारी

रीता देव / RITA DEV
प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer
केंद्रीय हिंदी निदेशालय / Central Hindi Directorate
पश्चिमी खण्ड–7, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली–66
West Block No-7, R.K. Puram, New Delhi-66